



संचिका संख्या - SHSB/PM/407/12
पत्रांक.....2041.....

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
-सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक12.3.14.....

विषय : सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दवाओं की अधिप्राप्ति बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से प्राप्त करने के संबंध में।


प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 1901 दिनांक 07.03.2014

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जिलों से पृच्छायें की जा रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से भिन्न मद से यानि कोषागार के माध्यम से प्राप्त राशि से दवाओं का क्रय बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाना है या राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से।

उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 1901 दिनांक 07.03.2014 के द्वारा आपसभी को निर्देशित किया जा चुका है कि किसी भी प्रकार के दवाओं का क्रय करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को अधियाचना भेजकर व्यादेशित दवाओं की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन दवाओं का दर अनुबंध/अनुमोदन बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा नहीं किया गया है एवं उन दवाओं की उपलब्धता सरकारी अस्पतालों के वाह्य कक्ष, अंतःकक्ष की आवश्यक दवाओं एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत आवश्यक है, वैसे दवाओं की सूची बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को भेजना सुनिश्चित करें ताकि निगम के स्तर से वैसे दवाओं का दर अनुबंध/दर अनुमोदन किया जा सके।

विश्वासभाजन


12/03/14

(कार्यपालक निदेशक)

-सह-

सचिव, स्वास्थ्य

